प्रगतिशील **गुजरात**

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की अहम बातें

- अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 33% से 60% फसल हानि पर 20000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता।
- अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 60% से अधिक फसल हानि पर 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता।
- यह योजना सूखे, भारी वर्षा या बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान के मामले में सहायता प्रदान करती है।
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किसानों को बिना किसी प्रीमियम के सहायता प्रदान की जाएगी।
- पूरे गुजरात में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए फॉर्म-धारक किसान और वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- किसान, ऑनलाइन आवेदन कर सकें इसके लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। किसानों को ई-ग्राम केंद्र जाकर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्वीकृत सहायता (अप्रूव्ड असिस्टेंस) का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
- किसानों की समस्याओं के निपटान के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- किसानों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के 56 लाख किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- यह योजना खरीफ़ सीज़न 2020 से चलाई गई है, इसलिए इसका लाभ उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि किसान ने अपनी फसल खरीफ़ के मौसम में लगाई हो।

इस योजना के तहत दिए गए मुआवज़े के अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर किसानों को राज्य आपदा कोष से अतिरिक्त मुआवज़ा भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता का विवरण

सूखे के मामले में:

एक तालुका जहां चालू सत्र के दौरान 10 इंच से कम बारिश हुई है या राज्य में मानसून की शुरुआत से लेकर 31 अगस्त तक लगातार चार सप्ताह (28 दिन) बारिश नहीं हुई है। यानी शून्य वर्षा (ज़ीरो रेनफॉल) और क्षतिग्रस्त फसलों (सूखा) के जोखिम को इस योजना के तहत माना जाएगा।

भारी वर्षा के मामले में:

यदि किसी जिले में भारी वर्षा पड़ी हो जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। भारी वर्षा की स्थिति तब मानी जाएगी जब उस जिले में 35 इंच या फिर 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई हो। इसमें दक्षिण गुजरात (भरूच, नर्मदा, तापी, सूरत, नवसारी, वलसाड और

बेमौसम बारिश होने पर:

यदि किसी जिले में बेमौसम बारिश पड़ी हो जिसके कार फसल को नुकसान पहुंचा हो तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री किसा सहाय योजना क्लेम की जा सकती है। बेमौसम बारिश की स्थिति त मानी जाएगी जब उस जिले में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 5 मिलिमीटर से ज्यादा बारिश 48 घंटे तक पड़ी हो।

इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों की सूची राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार तैयार क जाएगी। सबसे पहले, डीसी (जिला कलेक्टर) तालुका / गांवों की सूच तैयार करेंगे जिनकी फसलें सूखे, भारी वर्षा या गैर-मौसमी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फिर 7 दिनों के भीतर राजस्व विभाग क सूची साझा करेंगे। अगले चरण में एक विशेष सर्वेक्षण टीम 15 दिनों के भीतर फसलों को नुकसान की समीक्षा करेगी। क्षति सर्वेक्षण पूरा हो

डांग) के क्षेत्र शामिल हैं। अगर 25 इंच या इससे ज्यादा की बारिश होने पर खड़ी फसल को भारी नुकसान होता है तो यह भी भारी वर्षा से होने वाले ख़तरे का हिस्सा माना जाएगा।

के बाद, जिला विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वा लाभार्थी किसानों की सूची की घोषणा की जाएगी। लाभार्थी सूची प्रकार की होगी, 33% से 60% और 60% से अधिक की हानि।